

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17, न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांक ३/१८५१८ / विकास अनुभाग / लखनऊ दिनांक. ०९ मार्च, 2018

1. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर।
2. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष High Quality Sugar Cane Foundation Seed and Primary seed Production and distribution Programme हेतु रु. 628.64 लाख तथा Enhancing Sugar Cane Production in U.P. हेतु रु. 548.37 लाख कुल अवमुक्त धनराशि रु.1177.01 लाख का व्यय के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासनादेश सं.-06/2018/503/16-1-18-1000 (56)/2014 दिनांक 07 मार्च, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष High Quality Sugar Cane Foundation Seed and Primary seed Production and distribution Programme के अन्तर्गत ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु रु.20,00,000, आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.65,01,950, अनुसूचित जाति हेतु रु.17,27,750 तथा प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु. 41161050 लाख, अनुसूचित जाति हेतु रु.1,14,73,250 कुल रु.6,28,64,000 तथा Enhancing Sugar Cane Production in U.P के अन्तर्गत यंत्र वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.2,00,22,250, अनुसूचित जाति हेतु रु.58,98,250, माईक्रोन्यूट्रियेन्ट वितरण कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.85,25,000, अनुसूचित जाति हेतु रु.25,00,000, क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम मद में सामान्य हेतु रु.1,20,46,500, अनुसूचित जाति हेतु रु. 28,50,000, उत्पादकता पुरस्कार हेतु रु.17,20,000 तथा गन्ना किसान संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सामान्य हेतु रु.10,07,250, अनुसूचित जाति हेतु रु. 2,67,750 कुल धनराशि रु.5,48,37,000 के सम्बन्ध में है। अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन, व्यय/उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में वर्णित प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के शासनादेश सं.-116/12-3-2018-100(43)/2017, दिनांक 22 फरवरी, 2018 में दिये गये शर्तों/प्राविधानों के अनुसार



समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएँ/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायी गया।

2. गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं.-2077सी.डी./46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश 2331सी.डी./46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492सी.डी./46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाईड लाईन्स) के आधार पर डी.बी.टी. की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।

3. गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाये तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त का होगा।

4. प्रस्तर-2 में वर्ष 2017-18 के लिये अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाये। तदनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र सं.-1-11011/58/2013-डी.बी.टी. दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं. 8/2017-बी.-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित व्यवस्था का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय।

6. गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/नियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि को आहरण कर बैंक खाते में



न रखा जाय, अनुदान धनराशि को सीधे कोषागार से ही NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाय।

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुराबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु एवं प्रशिक्षण हेतु गन्ना किसान संस्थान लखनऊ को आवंटित धनराशि आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा आहरण कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार/शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुबन्ध-III पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को अवगत कराया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न-यथोपरि।

(संजय आर. भूसरेड्डी)

आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र.

पत्रांक

तददिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. शासन।
2. वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।
5. नोडल अधिकारी, रा.कृ.वि.यो., कृषि भवन लखनऊ।

(कै.के.सिंह)

वित्त नियंत्रक,

कार्यालय गन्ना एवं चीनी

उद्योग, उ.प्र.

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि को वर्ष 2017-18 में हाईक्वालिटी शुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 628.64 लाख तथा इनहांसिंग शुगरकेन प्रोडक्शन इन यू.पी. हेतु रु. 548.37 लाख कुल अवमुक्त धनराशि रु0 1177.01 लाख का व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कै.750-51/रा0कृ.वि.योजना, दिनांक 28.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के हाईक्वालिटी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राईमरी शीड प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडक्शन इन यू.पी. हेतु, वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु. 628.64 लाख (रुपये छः करोड़ अट्ठाईस लाख चौसठ हजार मात्र) एवं रु. 548.37 लाख (रुपये पाँच करोड़ अड़तालिस लाख सैंतीस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 1177.01 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ सत्तहत्तर लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन शीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यों हेतु, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-116/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 22 फरवरी, 2018 में दिये गये शर्तों/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

